



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-प0नि0 30-18/2024 1111
प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
वैशाली।

पटना, दिनांक-7.3.2024

विषय :- राघोपुर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत राज रूस्तमपुर में उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 344 दिनांक 10.02.2024
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, जिनके समीक्षोपरान्त पाया गया कि उप मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सूचना नोटिस में कारण/आरोप अंकित नहीं की गई है। जो बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमवली 2015 के नियम 06 (I) का उल्लंघन है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि संदर्भित विषय में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 के तहत वैधानिक परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
④ 07/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

7.3.24